राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 /कार्यस्थल/01734 / 6254 जयपुर दिनांकः 13 JUN 2024

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।

विषयः – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के कार्य के समय एवं कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में।

प्रसंगः– उप निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक J-12024/02/2024-RE (IV) (388416) दिनांक 07 जून, 2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के कई हिस्सों में हीटवेव जैसी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए कार्यो के समय एवं कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में निर्देश प्रदान किए हैं।

मनरेगा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पूर्व कार्यों के समय के संबंध में दिनांक 23.05.2024 एवं कार्यस्थल पर सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने के संबंध में दिनांक 06.05.2024 को निर्देशित किया गया है। इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुविधा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 क पैरा 19 के अनुसार 8 घंटे की अवधि मय 1 घंटे का विश्रामकाल निर्धारित है। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि **"यदि कोई श्रमिक/श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त कार्यस्थल छोड सकता है। अर्थात यदि किसी श्रमिक के द्वारा निर्धारित टास्क 5 घंटे की कार्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाता है तो अनावश्यक रूप से कार्यस्थल पर न रोका जावे।"**
2. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पंचायतों में भामाशाह के माध्यम से छाछ, कैरी की छाछ, नींबू पानी एवं शरबत आदि की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जावें।
3. कार्यस्थल पर विश्राम हेतु शैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
4. कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार बॉक्स में आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन एवं इलेक्ट्राल/ग्लूकोस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. कार्यस्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला सहित आते हो तो एक महिला मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जायेगी, जिसे योजनान्तर्गत निर्धारित दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर छोटे बच्चों को सुलाने/लिटाने हेतु छाया एवं झूलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यस्थलों पर समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(टीना डाबी)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
5. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

RajKaj Ref

Signature valid
Digitally signed by Tina Dabi
Designation: Commissioner
Date: 2024.06.12 1?:52:07 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner